

प्रेस नोट दिनांक -13.08.22 थाना कैण्ट गोरखपुर

चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 597/2022 धारा 307/323/504/34 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रदीप साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी टेलीफोन कालोनी के सामने रुस्तमपुर बेतियाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर 2. सूरज पुत्र छेदी निवासी नहर रोड रुस्तमपुर ढाला थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:-

वादी द्वारा दिनांक: 10.08.2022 को अपने पुत्र रामकृष्ण मिश्र से सवेरा हास्पिटल बेतियाहाता गली के रास्ते में मोटर साईकिल खड़ी करने को लेकर दीपक चौहान पुत्र अरविन्द चौहान से कहा सुनी हो गयी जिस पर दीपक ने फोन कर अपने चाचा सूरज पुत्र छेदी व प्रदीप व रामानन्द के साथ मौके पर बुलाकर पेट में चाँकू से जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

01. प्रदीप साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी टेलीफोन कालोनी के सामने रुस्तमपुर बेतियाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
02. सूरज पुत्र छेदी निवासी नहर रोड रुस्तमपुर ढाला थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 597/2022 धारा 307/323/504 /34 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव चौकी प्रभारी बेतियाहाता, थाना कैण्ट गोरखपुर
3. का0 राजनारायण धुर्यवंशी चौकी बेतियाहाता, थाना कैण्ट गोरखपुर
4. का0 दीपक चौकी बेतियाहाता, थाना कैण्ट गोरखपुर